

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****लखनऊ****दांडिक प्रकी. अग्रिम जमानत आवेदन अं./धा. 482 भा.ना.सु.सं.,****सं. - 1133 वर्ष 2026**

राजशेखर

.... आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ
एवं एक अन्य

..... विरोधी पक्षकार (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : आशीष कुमार शुक्ला, हरि ओम पांडेय

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता : शा.अधि., प्रमोद कुमार

न्यायालय सं. - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान् अ.शा.अधि. और परिवादी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन, आवेदक द्वारा मुकदमा अपराध सं. 168 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 109, 191(2), 191(3), 351(2), 109(1), 115(2), 352, 351(2), 3(5), भा.न्या.सं. और धारा 3(1)(ध), 3(2)(v), 3(2)(v-क), अनु.जा./अनु.ज.जा., पुलिस थाना नवाबगंज, जिला प्रतापगढ़, उसे अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि आवेदक को वर्तमान मामले में

झूठा फंसाया गया था। आरोप-पत्र को चुनौती दी गई थी और रिट न्यायालय द्वारा सुरक्षा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दी गई थी कि अन्वेषण पूरा होने तक आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वह अग्रेतर निवेदन करते हैं कि आवेदक ने रिट न्यायालय द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं किया है, और अब अन्वेषण पहले ही पूरा हो चुका है और आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है। वह यह भी निवेदन करते हैं कि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है और अभिरक्षा पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। अंत में वह निवेदन करते हैं कि आवेदक विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है, इसलिए उसे अग्रिम जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

4. विद्वान् अ.शा.अधि. और परिवादी के विद्वान् अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का ज़रदार विरोध किया है। वे निवेदन करते हैं कि अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों, अर्थात् कामता प्रसाद और विमल कुमार मौर्य को क्रमशः दांडिक अपील सं. 294 वर्ष 2026 और 786 वर्ष 2026 में नियमित जमानत पर छोड़ा जा चुका है, इसलिए आवेदक अग्रिम जमानत के लिए अधिकृत नहीं है। तथापि, वे इस तथ्य को विवादित नहीं करते हैं कि अन्वेषण के दौरान सह-अभियुक्त व्यक्तियों को अभिरक्षा में नहीं लिया गया था।

5. पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करने और अग्रिम जमानत आवेदन और अन्य सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, यह स्पष्ट है कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों को पहले ही जमानत पर छोड़ा जा चुका है। अन्वेषण के दौरान, रिट न्यायालय द्वारा आवेदक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई थी। इन परिस्थितियों में, अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, यह अग्रिम जमानत के लिए उपयुक्त मामला है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. तथापि, आवेदक को, एक महीने के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष रु. 20,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो जमानतदार प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किया जाता है।

7. अग्रेतर उपबंध किया जाता है कि यदि आवेदक को अभिरक्षा में लिया जाता है, तो उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी द्वारा, रु. 50,000/- का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि के दो जमानतदार लेने के पश्चात्, **अग्रिम जमानत पर**, निम्नलिखित शर्तों के अधीन तत्काल छोड़ दिया जाएगा:

(i) आवेदक, ऐसे अपराध, जिसका वह अभियुक्त है, या संदिग्ध है, जिसे कारित किए जाने के लिए वह संदिग्ध है, जैसा कोई अपराध कारित या उसमें सम्मिलित नहीं होगा।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से रोका जाए, या साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक, (1) मामले के आरंभ, (2) आरोप विरचित करने, और (3) धारा 313, दं.प्र.सं./ धारा 351, भा.ना.सु.सं. के अधीन कथन अभिलिखित करने के लिए नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय है कि आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर है या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने, और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. उपर्युक्त निदेशों के साथ, अग्रिम जमानत आवेदन **अनुज्ञात** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

जून 12, 2026
अर्पण

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।